



-प्रेस नोट-

दिनांक:27.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशां देही पर घटना में प्रयुक्त 01 रस्सी बरामद।

घटना का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.02.2026 को वादिया श्रीमती सहरीन पुत्री अलीशेर पत्नी आशिफ निवासी नाई नगली उर्फ माजरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादिया को जान से मारने की नीयत से रस्सी से गला घोटने व मारपीट कर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 59/26 धारा 109(1),115(2),352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतू दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आसिफ पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को दुमझेडा जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी बरामद की बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 554/17 धारा 323,376,498-A,506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27-02-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट के मुकदमे में 02 वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी धनराशि में से 92,000/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.02.2026 को वादी श्री परवेज आलम पुत्र अब्दल वहीद निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी से लगभग पाँच लाख रुपये लूट लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 85/26 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटी गयी धनराशि की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र धनवीर निवासी बिशनपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 2.अरुण पुत्र सुखवीर निवासी लखनौती कलाँ थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को लखनौती से दतौली जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित लूटी गयी धनराशि में से कुल 92,000/- रुपये की धनराशि क्रमशः अभियुक्त गौरव उपरोक्त के कब्जे से 47000/-रुपये तथा अभियुक्त अरुण के कब्जे से 45000/- रुपये बरामद हुए। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 310(2)/317(3)/3(5)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हमारे साथी जहाँगार ने हमें बताया कि ग्राम रजापुर से एक पशु व्यापारी मेरी पिकअप गाड़ी में दिनांक 24/25.02.2026 की रात्रि को भैंस खरीदने के लिये दूनपुर सम्भल जायेगा,जिसके पास काफी सारे रुपये होंगे। हम दोनो व हमारे तीन अन्य साथियों ने मिलकर पशु व्यापारी से रुपये लूटने की योजना बनाई।जिसके अनुसार दिनांक 24/25.02.2026 की रात्रि को हम पाँचो ने दो मोटरसाईकिल पर अलग-अलग सवार होकर रजापुर भैंसराव वाले रास्ते पर शमशान मोड के पास पहुँचे। जैसे ही पिकअप गाड़ी शमशान मोड के पास पहुँची तो तो एक मोटरसाईकिल पिकअप गाड़ी से आगे निकलकर गाड़ी को रुकवाया आर पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों ने परवेज के पेट पर बन्धी कपडे की थैली में से पाँच लाख रुपये छिनकर भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. गौरव पुत्र धनवीर निवासी बिशनपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. अरुण पुत्र सुखवीर निवासी लखनौती कलाँ थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 231 रोहित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
- 5.का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 27.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ओवरलोड रेत भरा हुए, 03 ट्रैक्टर ट्राली सीज

अवगत कराना है कि पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार एवं राजस्व टीम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.02.2026 की रात्रि मे चौकी शांजहापुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 03 ट्रैक्टर मय ट्राली रेत भरा, बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहा था। उक्त वाहनो को नियमानुसार सीज किया गया है।

विवरण -

1. ट्रैक्टर ट्रॉली सोनालिका जिसका इंजन नम्बर 3100- DL 54 B151475 F3 बिना नम्बर प्लेट
2. ट्रैक्टर ट्रॉली महिदा 555DI न- 0UP 11 AU जिसका 1848 SR NO-RKBG01127 HE
3. ट्रैक्टर ट्रॉली महिद्रा 475DI जिसका नम्बर UP 11 R 3047 एवं इंजन नम्बर REU 3075

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर
2. संग्रह आमीन रजनीश व ओम सिंह तहसील सदर सहारनपुर जनपद सहारनपुर
3. पुलिस टीम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27.02.2026

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 150 लीटर लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद 300 लीटर अवैध कच्ची शराब व

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अवैध मदिरा के निर्माणतस्करी के अपराधो मे संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक /बिक्री/ ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 27.02. को अभियुक्त 2026 राहुल पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बढेडी मजबता थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को ग्राम बढेडी मजबता से शराब की भट्टी शराब कसीदगी के उपकरण) /लीटर कच्ची शराब खाम 150 एवं (सहित 300 लीटर लहन के गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना / 48 0सं0अ0बडगाँव पर मु/60 धारा 26(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. राहुल पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बढेडी मजबता थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- लीटर अवैध कच्ची शराब 150
- लोहे का ड्रम मय पाईप 01
- स्टील की थाली 01
- 01 पतीली एल्यूमिनियम
- (लहन से भरा) ड्रम 02
- अधकटी प्लास्टिक की बोतल 01
- मग प्लास्टिक 01
- गैस सिलेण्डर इन्डेन कम्पनी 01
- चूल्हा लोहे का 01
- कांच की बोतल 01

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. श्री रमेश चन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
2. श्री अक्षय कुमार आबकारी निरीक्षक जनपद सहारनपुर
3. उ श्री हितेश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर । 0नि0
4. उ श्री सोनू कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर । 0नि0
5. कां अमरदीप थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर । 1569 0
6. कां सुदीप कुमार कनौजिया आबकारी टीम सहारनपुर । 0
7. कां मनोज 0 कुमार आबकारी टीम सहारनपुर ।
8. होसतीश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर । 2077 0गा0



-प्रेस नोट-

दिनांक 27.02.2026

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर अवैध देशी शराब बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की तस्करी रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया जा रहा है अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मंसूर निवासी गली न0 05 साबरी का बाग थाना मण्डी जिला सहारनपुर को मण्डी परिसर में खण्डहर पडी बिल्डिंग के पास से ही गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अब्दुल्ला उपरोक्त के कब्जे से कुल 05 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 71/26 धारा 60(1) आबकारी एक्ट अभियुक्त अब्दुल्ला उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अब्दुल्ला पुत्र मंसूर निवासी गली न0 05 साबरी का बाग थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 05 लीटर अवैध देशी शराब

अभियुक्त अब्दुल्ला उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 290/23 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 40/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 71/26 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थान मण्डी सहारनपुर।
3. का0 2528 अनिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 27.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 48 अद्वे FOR SALE IN HARYANA ONLY शराब नाजायज बरामद होना ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी पर्वों के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस टीम ने दिनांक 26.02.2026 को चैकिंग के दौरान एक शातिर राजकुमार उर्फ राजू पुत्र आत्माराम निवासी ललाता प्रसाद की मंडी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को छोटी लाईन रोड से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 116/2026 धारा 60/63 आबकारी एक्ट में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र आत्माराम निवासी ललाता प्रसाद की मंडी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 48 अद्वे FOR SALE IN HARYANA ONLY शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 2064 रुचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 243 रोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर